तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अ०सं० 7/1, 7/3, 7/4 अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगायी; लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अ०सं० 7/1, 7/3, 7/4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अ०सं० 9 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र धारा 212 R.T. Act हेतु दि० 22/01/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रा० प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा – 212 RT Act सपठित आदेश 39 नियम 1&2 cpc के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है:- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- अप्रा० प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम सांगरिया हाल तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी ख० न० 1133 रकबा 2-06 बीघा मे से खातेदार – अप्रार्थीगण के पिता/पति – गोरधन सिंह ने वर्ष 2002 में अपना [illegible] बेचान कर कब्जा संभला दिया [illegible] से प्रार्थी वादग्रस्त हिस्से पर [illegible] शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त चला आ रहा है [illegible] दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:25:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि गोरधनसिंह द्वारा प्रार्थी को रजिस्ट्री कराने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा इक अप्रमाणित, अपंजीकृत बेचान इकरार की photocopy पेश की है जिसमे हिस्सा 1/3 के बेचान कर कब्जा सौंपने का उल्लेख है। प्रार्थी द्वारा sale agreement के गवाहो के साक्ष्य / बयान भी पेश नहीं किए है, original sale agreement भी पेश नहीं किया है, possession transfer होने या मौके पर कब्जे से काबिज होने का भी कोई documentary or oral evidence पेश नहीं किया है। उक्त unregistered sale agreement की photocopy मे 40000/- रुपये का consideration amount अंकित है जबकि The Registration Act 1908 की धारा - 17 के अनुसार Rs 100/- से अधिक की immovable property का registration अनिवार्य है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साक्ष्य के अभाव मे साबित नहीं है।
	(ब) सुविधा का संतुलन :- ~~अप्रार्थीगण~~ Recorded Khatedar tenants है और मौके पर कब्जे के सम्बंध मे कोई संतोषजनक साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं है। Sale agreement भी unregistered और uncertified है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रार्थी को रिकार्ड खातेदारान [illegible] रिकार्ड खातेदार के [illegible] बिना Strong evidence के Temporary injuction [illegible] करना उचित नहीं है। अतः [illegible] का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं है।
	(स) अपूरणीय क्षति :- जब प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं हो और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:25:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद, जिला बारां

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तो प्रार्थी को अपूरणीय हानि कारित नहीं हो सकती है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RTA r.w. O 39 R 1&2 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:25:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner